

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2278

दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रतिबंधित और नकली दवाओं का उपयोग

2278. श्री के. गोपीनाथ:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश के बाजार में प्रतिबंधित एवं नकली दवाओं की उपलब्धता एवं उपयोग के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में नकली एवं प्रतिबंधित दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में वर्षवार कोई कार्रवाई की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): पारिभाषिक शब्द "नकली दवाएं" की परिभाषा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके तहत बनाए गए नियमों में नहीं दी गई है। तथापि, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम में नकली, मिलावटी और भ्रामक ब्रांड वाली औषधियों को परिभाषित किया गया है, जिसमें नकली दवाएं भी शामिल हैं।

घटिया गुणवत्ता वाली औषधियों (एनएसक्यू)/ नकली औषधियों की मात्रा का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण (2014 -16) किया गया था। कुल 47,012 औषधि नमूने सरकारों और निजी स्रोतों से एकत्र किए गए।

नकली/मिलावटी/घटिया गुणवत्ता वाली (एनएसक्यू) औषधियों का निर्माण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध है। यह अधिनियम संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को ऐसे मामलों में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है, जिनमें किसी प्रतिबंधित या निषिद्ध औषधि का विनिर्माण, बिक्री और प्रदायगी शामिल है। जब भी ऐसी औषधियों के संबंध में अलग-अलग शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो कार्रवाई करने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकरणों के साथ मिलकर उनकी जांच की जाती है।

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औषधि नियंत्रक द्वारा रिपोर्ट किए गए घटिया गुणवत्ता/नकली/मिलावटी औषधि नमूनों की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष (अप्रैल से मार्च)	जांच किए गए औषधि नमूनों की संख्या	घटिया गुणवत्ता वाली घोषित औषधि नमूनों की संख्या	घोषित नकली/मिलावटी औषधि नमूनों की संख्या	नकली/मिलावटी औषधि के निर्माण, बिक्री और प्रदायगी के लिए शुरू किए गए अभियोजन की संख्या
2022-23	96,713	3,053	424	663
2023-24	1,06,150	2,988	282	604
2024-25	1,16,323	3,104	245	961
